न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 149/2024

वादी :–

1. चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा लालावतों की ढीमडी बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास वैल्लूर तमिलनाडू

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपंठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि

उपस्थितिः–वादी – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 15/07/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 770 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773/1 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/1 रकबा 1.5371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/2 रकबा 1. 5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/4 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 775 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 8.5674 हेक्टेयर आई हुई है, जिसमें चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि में वादी का दर्ज 1/5 हिस्से को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2022 हैक्टेयर आई हुई है, जिसमें चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 2/15 हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि में वादी का दर्ज 2/15 हिस्से को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773/2 रकबा 0.8333 हैक्टेयर आई हुई है, जिसमें चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 308/1545 हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि में वादी का दर्ज 308/1545 हिस्से को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि सी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी में वादी के दर्ज हिस्सा की भूमि वादी द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.03.2013 को विक्रेता गोदावरी पत्नी श्री दुर्गाराम, जाति पटेल, निवासी मालियों का अरट बिलाड़ा व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.11.2012 को विक्रेता दुर्गाराम पुत्र बचनाराम, जाति पटेल, निवासी मालियों का अरट बिलाड़ा व अभिनव पटेल पुत्र भंवरलाल, जाति पटेल, निवासी उचियार्डा बिलाड़ा से खरीद की। उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटिवश वादी के सही नाम चन्द्राराम के स्थान पर अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह टाईप कर दिया गया। उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2077, 2078 व 2100 में भी रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार ही वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह दर्ज किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गया तथा म्यूटेशन संख्या 2077, 2078 व 2100 के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह प्रथम बार दर्ज किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी की चालु जमाबन्दी में अलग खाता राजस्व वाद संख्या 66/2016 बअनवान भेराराम व अन्य बनाम गोपाराम व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2017 व पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.05.2017 के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त बंटवाड़ा के वाद में भी वादीगण भेराराम व अन्य द्वारा वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम के अनुसार चन्द्रसिंह लिखने से माननीय न्यायालय द्वारा भी पारित प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह लिखा गया तथा अन्तिम डिक्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किये गये इन्द्राज में भी अन्तिम डिक्री के अनुसार ही वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह दर्ज किया गया। वादी का सही नाम चन्द्राराम है जिसके सम्बंध में वादी के निजी/सरकारी दस्तावेज पैनकार्ड, जनआधारकार्ड, आधारकार्ड, आन्ध्रा बैंक की खाता डायरी, विद्युत बिल, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड तथा राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2210, 2211, 2213, 2214, 2231 की चालु जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम चन्द्राराम दर्ज है। वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में वादी का सही नाम चन्द्राराम दर्ज होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी की चालु जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह दर्ज होने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी के सम्बंध में अपने दर्ज हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है। वादी अपने सरकारी व निजी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी की चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर सही व शुद्ध नाम चन्द्राराम दर्जध्दुरुस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह की जानकारी होने पर प्रतिवादी को वादी के अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर सही व शुद्ध नाम चन्द्राराम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नहीं है अपितु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादी का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज मे दर्ज सही व शुद्ध नाम चन्द्राराम के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि ए के दर्ज अन्य सहखातेदार गोपाराम पुत्र शेषाराम, पारसराम पुत्र पन्नाराम, बाबूलाल पुत्र शेषाराम, मोहनलाल पुत्र पन्नाराम, वादग्रस्त कृषि भूमि बी के दर्ज अन्य सहखातेदार गोपाराम पुत्र शेषाराम, पारसराम पुत्र पन्नाराम, बाबूलाल पुत्र शेषाराम, मोहनलाल पुत्र पन्नाराम व भेराराम दतक पुत्र नारायणराम, वादग्रस्त कृषि भूमि सी के दर्ज अन्य सहखातेदार गोपाराम पुत्र शेषाराम, पारसराम पुत्र पन्नाराम, बाबूलाल पुत्र शेषाराम, मोहनलाल पुत्र पन्नाराम व भेराराम दतक पुत्र नारायणराम को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदार के दर्ज हिस्सों के सम्बंध में व उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है तथा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से उपरोक्त दर्ज अन्य सहखातेदारान के न तो हिस्से प्रभावित होंगे व न ही उनका नाम प्रभावित होगा। इसलिए प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार नही है। इसलिए उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी में वादी के दर्ज हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचानन्नामा दिनांक 11.03.2013

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

व बैचाननामा दिनांक 01.11.2012 को वादी द्वारा खरीद करने से, उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटिवश वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह टाईप करने से, रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार ही दर्ज म्यूटेशन संख्या 2077, 2078, 2100 में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह दर्ज किये जाने से, उक्त म्यूटेशन के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में प्रथम बार वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह दर्ज किये जाने से, राजस्व वाद संख्या 66/2016 बअनवान मेराराम व अन्य बनाम गोपाराम व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2017 व पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.05.2017 में भी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का अंशुद्ध नाम चन्द्रसिंह के अनुसार ही चन्द्रसिंह लिखने से, अन्तिम डिक्री के अनुसार ही चालु जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह लिखने से, उपरोक्त अशुद्धि की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने सरकारी व निजी दस्तावेज में दर्ज सही व शुद्ध नाम चन्द्राराम के अनुसार चालु जमाबन्दी में दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर व इस हेतु माननीय न्यायालय ही सक्षम होने का कहने पर बमुकाम् ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 770 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773/1 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/1 रकबा 1.5371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/2 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/4 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 775 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 8.5674 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम हिस्सा 1/5 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार के स्थान पर शुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 1/5 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार दुरुस्त शुद्ध किये जाने को डिक्रीध्आदेश फरमावे। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2022 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम हिस्सा 2/15 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार के स्थान पर शुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 2/15 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार दुरुस्त/शुद्ध किये जाने की डिक्री/आदेश फरमावे। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773/2 रकबा 0.8333 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम हिस्सा 308/1545 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार के स्थान पर शुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 308/1545 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. बिलाड़ा खातेदार दुरुस्त/शुद्ध किये जाने की डिक्री/आदेश फरमावे। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 770 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773/1 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/1 रकबा 1.5371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/2 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/4 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 775 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 8.5674 हैक्टेयर चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2022 हैक्टेयर चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 2/15 हिस्सा दर्ज है। राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 773/2 रकबा 0.8333 हैक्टेयर चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार वादी का 308/1545 हिस्सा दर्ज है। जबाब के पद संख्या 1 से 3 में वादी के दर्ज हिस्सा की भूमि वादी द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.03.2013 को विक्रेता गोदावरी पत्नी श्री श्रीदुर्गाराम, जाति पटेल निवासी मालियों का अरट बिलाडा व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.11.2012 को विक्रेता दुर्गाराम पुत्र बचनाराम, जाति पटेल, निवासी मालियों का अरट बिलाड़ा व अभिनव पटेल पुत्र भंवरलाल, जाति पटेल, निवासी उचियार्डा बिलाड़ा से खरीद की। उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा में वादी का नाम चन्द्रसिंह दर्ज है। उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2077, 2078 व 2100 में भी रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार ही वादी का चन्द्रसिंह दर्ज किया गया तथा म्यूटेशन संख्या 2077, 2078 व 2100 के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में वादी का नाम चन्द्रसिंह प्रथम बार दर्ज किया गया। जवाब के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खसरान की भूमि चालु जमाबन्दी में अलग खाता राजस्व वाद संख्या 66/2016 बअनवान भेराराम व अन्य बनाम गोपाराम व अन्य में न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2017 व पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.05.2017 के आधार पर दर्ज किया गया। वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज पैनकार्ड, जनआधारकार्ड, आधारकार्ड, आन्ध्रा बैंक की खाता डायरी, विद्युत बिल, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड तथा राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2210, 2211, 2213, 2214, 2231 की चालु जमाबन्दी में वादी का सही नाम चन्द्राराम दर्ज है। जिसके अनुसार जवाब के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खसरान की चालु जमाबन्दी में वादी के दर्ज नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर चन्द्राराम शुद्ध किया जाना उचित है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खसरान की चालु जमाबन्दी में वादी के दर्ज नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर उसके निजी व सरकारी दस्तावेज के अनुसार सही नाम चन्द्राराम दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनक़ीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम जाति खारडिया(सीरवी) द्वारा पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी की ओर से दस्तावेजों साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.03.2013 गोदावरी बहक गोपाराम वगैरा की प्रति, प्रदर्श 2

रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.11.2012 दुर्गाराम बहक गोपाराम की प्रति, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता सं. 149 ग्राम झाक, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता सं. 150 ग्राम झाक, प्रदर्श 5 आधारकार्ड, प्रदर्श 6 पहचान पत्र, प्रदर्श 7 पैनकार्ड, प्रदर्श 8 जनआधार कार्ड, प्रदर्श 9 आन्ध्रा बैंक की खाता डायरी आदि प्रदशिर्त करवाये गयें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधारकार्ड चन्द्राराम पी, प्रदर्श 2 पहचान पत्र चन्द्रा राम पुत्र पन्नाराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड चन्द्राराम पी पुत्र पन्नाराम, प्रदर्श 4 जनआधार कार्ड चन्द्राराम पन्नाराम, प्रदर्श 5 आन्ध्रा बैंक चन्द्राराम पन्नाराम पुत्र पन्नाराम, प्रदर्श 6 बिजली बिल चन्द्र रामम लालवत पुत्र पन्ना रामम लालावत आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सभी दस्तावेजात में अलग अलग नाम इन्द्राज हैं। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा वादपत्र के पद सं0 1 से 3 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी की चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम के स्थान पर शुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम दुरुस्त/शुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट सपठित धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया तथा वादी द्वारा सही/शुद्ध नाम चन्द्राराम के संबंध में अपने निजी/सरकारी दस्तावेज पैनकार्ड, जनआधारकार्ड, आधारकार्ड आन्ध्राबैंक की खाता डायरी, विद्युत बिल, पहचान पत्र परिवार राशनकार्ड इत्यादि पेश किये। वादी द्वारा सही/शुद्ध नाम चन्द्राराम के संबंध में पेश निजी/सरकारी दस्तावेज पैनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र राशनकार्ड सभी दक्षिणी भारत में बनाये गये जिसमें वादी के नाम के आगे पी लिखाा हुआ है तथा पी का मतलब पनाराम है जो वादी के पिता है जबकि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे पिता का नाम नहीं लिखा जाता है, अपितु पिता का नाम, पिता की हैसियत से लिखा जाता है। इसलिए वादी दक्षिणी भारत में उसके नाम के आगे लिखे पी के अनुसार अपना नाम शुद्ध करवाना नहीं चाहता है अपितु वादी बिना पी लिखे ही अपना नाम शुद्ध करवाना चाहता है तथा अनुतोष में भी वादी द्वारा बिना पी लिखे वादी का अशुद्ध नाम चन्द्रसिंह के स्थान पर शुद्ध नाम चन्द्राराम शुद्ध किये जाने का अनुतोष प्रस्तुत वाद में चाहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही शुद्धि किये जाने का आदेश फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। राजस्व ग्राम झाक के राजस्व जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खसरा संख्या 770 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773/1 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/1 रकबा 1.5371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/2 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/4 रकबा 1.5695 हैक्टेयर, खसरा संख्या 775 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 8.5674 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773/2 रकबा 0.8333 हैक्टेयर में वादी का नाम चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम के नाम से इन्द्राज है। जबकि राजस्व जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खसरा नंबर 2210, 2211, 2213, 2214, 2231 में वादी चन्द्राराम पुत्र पनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्रांज है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरान की चालु जमाबंदी में वादी का नाम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

चन्द्रसिंह के स्थान पर चन्द्राराम करने की अनुशंषा की गई। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम झाक के जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 78, खाता सं. 296, खाता सं0 332 के राजस्व रेकर्ड में चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादी :-**
चन्द्राराम सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि

राजस्व वाद संख्या :- **149/2024**

निर्णय **दिनांक :-** 15/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुंददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम झाक के जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 78, खाता सं. 296, खाता सं0 332 के राजस्व रेकर्ड में चन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र पन्नाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा